भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7. परियोजना स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद के विभिन्न मार्गो के किनारे वाटर डिस्टिब्यूशन लाइन के बिछाने हेतु प्रस्ताव FP/UP/WATER/155109/2022
1. राज्य संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
2. जिला	जालौन
3. वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)
4. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	4.7727 हे0
5. वनभूमि की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
6. हरियाली का घनत्व	0.1
7. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मीटर संलग्न किये जाए)	0 संलग्न है
8. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू क्षरण के लिये क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
9. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0 किमी0
10. क्यों फार्म राष्ट्रीय उदद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं
11. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजान की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिंश्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्संबन्धी व्यौरा दें।	नहीं
12. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8. प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जॉचे गऐ विवरण के व्यौरे के मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन संबन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	–
प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–
(ii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के वितरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	–
(iii) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	–
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	–
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	कोई नंहीं।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	4565 वर्ग किमी0
(ii) जिले का वन क्षेत्र	25639.35 हे0
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	13 मामले (166.63 हे0)
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	166.63 हे0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनेतर भूमि	166.63 हे0
(ख) वनेतर भूमि पर	0.00 हे0
(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वनभूमि पर	166.63 हे0
(ख) वनेतर भूमि पर	0.00 हे0
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लाने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि – 26-5-22

स्थान – उरई.

उप वन संरक्षक
जालौन सा0 वा0 वन प्रभाग, उरई